

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

संशोधन/शुद्धि पत्र

दिनांक-...../2026

विभागीय अधिसूचना संख्या-3260-सह-पठित ज्ञापांक-3261, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-134 के स्तम्भ-5 में अंकित "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पौरामटिहाना, जमुई" के स्थान पर "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पैरामटिहाना, जमुई" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3260-सह-पठित ज्ञापांक-3261, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-171 के स्तम्भ-2 में अंकित "डॉ० मो० इब्राहिम खान" के स्थान पर "डॉ० मो० इब्राहीम खाँ" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-3260-सह-पठित ज्ञापांक-3261, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-248 के स्तम्भ-2 में अंकित "डॉ० ओम प्रकाश" के स्थान पर "डॉ० ओम प्रकाश" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी।

ह०/-

(नीरज कुमार देवनाथ)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था० (7) 03/2026-

/पटना-15, दिनांक-

/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था० (7) 03/2026- 4363

/पटना-15, दिनांक-13/8 /2026

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।